

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

क्रमांक F 19-5/2015/12/2
प्रति

शुभपाल, दिनांक 08/12/2019

कलेक्टर
समस्त जिले,
मध्यप्रदेश

विषय:- मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली परियोजना के संबंध में ।

मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 7 उप नियम 2 कंडिका (घ) में यह प्रावधान है कि, जिला खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले 10 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिये राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन लिया जायेगा। इस संबंध में निम्न लिखित अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1. 10 करोड़ से अधिक लागत के प्रस्ताव का अनुमोदन खनिज साधन विभाग द्वारा दिया जाएगा।
2. अनुमोदन के लिए प्रकरण निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजा जाए:-
 - 1) न्यास मण्डल की अनुशंसा
 - 2) कार्यपालिका समिति की अनुशंसा
 - 3) वार्षिक योजना में परियोजना शामिल होने का प्रमाण
 - 4) कार्य निर्माण संबंधी होने की स्थिति में संबंधित निर्माण विभाग के समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति
 - 5) कार्य की उपयोगिता के संबंध में संबंधित विभाग एवं कार्यपालिका समिति की टीप

उपरोक्त अभिलेखों के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर खनिज साधन विभाग द्वारा समय रूप से विचार कर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(डी.फटिंग राहम हरिदास)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खनिज साधन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/12/2017

पू०क्रमांक एक 19-5/2015/12/2

प्रतिलिपि:-

- 1) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
- 2) आयुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश
- 3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला पंचायत मध्यप्रदेश
- 4) गार्ड फाईल

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खनिज साधन विभाग